सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 176/2015

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

सीताराम पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी मोटालाव तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

————प्रार्थी

♠बनाम♠

1. शिवराज पुत्र सुखदेव
2. सुखदेव पुत्र श्योकरण
3. श्रीमति प्रेम पत्नि सुखदेव
   समस्त जाति जाट निवासीगण मोटालाव तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान
4. तहसीलदार सावर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 07.06.18

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,92ए,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम मोटालाव तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 233 में खसरा नम्बर 236, 252, 1310/124, 1311/172, 1313/269, 1314/296, 1315/296, 1316/599, 1317/614, 1318/622, 1319/670 किता 11 कुल रकबा 1.83 है. भूमि की आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 व 2 की पुश्तैनी आराजीयात है उक्त आराजीयात के जमाबन्दी संवत 2041 के अनुसार खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 118,121,122, 120, 273, 314, 334, 338, 371, 384 मिन, 634, 721, 757, 764, 781 किता 16 कुल रकबा 63 बीघा थे जो कि जमाबन्दी संवत 2041 में प्रार्थी के दादाजी स्व. श्री श्योकरण पुत्र काना जाट निवासी मोटालाव के नाम दर्ज है। प्रार्थी के स्व. दादाजी के क्रमशः स्व. श्री सुखदेव, जगदीश, बद्री, छोटू, बरदू, गोवर्धन पिसरान श्योकरण जाट 6 पुत्र हुए है जिनमें 1/6 – 1/6 हिस्सा कर अलग–अलग संभला दिया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 व 2 के हिस्से की एवं संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात है तथा संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्सेवार काबिज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 व 2 का वादवर्णित आराजीयात में बराबर–बराबर यानि 1/3–1/3 हिस्सा है। अप्रार्थी 1 व 2 प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात में बाई हुई फसल को नष्ट करने व जानवरों से नुकसान करवाने व प्रार्थी को बैदखल करने एवं आराजीयात को बैचान करने की एलानिया धमकिया देते है जिसके कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। पत्रावली में जवाब हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 07.06.2017 से अब तक 8 मौके दिये गये। प्रतिवादीगण का जवाब पेश नही होने से जवाब बन्द किया गया। आज पत्रावली केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता में पेश हुई जहां प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपस्थित हुए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। उपस्थित पक्षकारान को सुनने के बाद जाहिर हुआ कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजीयात है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रेमाफेसाई केस होना पाया जाता है तथा प्रार्थनापत्र का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाके ग्राम मोटालाव तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 233 में खसरा नम्बर 236, 252, 1310/124, 1311/172, 1313/269, 1314/296, 1315/296, 1316/599, 1317/614, 1318/622, 1319/670 किता 11 कुल रकबा 1.83 है. भूमि का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद विचाराधीन होने तक प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न, दखलन्दाजी, आराजीयात को खुर्द–बुर्द नही करें। ना ही आराजीयात को बैचान, स्थानांतरण, अन्तरण, रहन, बक्षीस इत्यादी करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी